न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–149 / 2023 दायर दिनांकः 03.07.2023
GCMS NO:- 2023/274 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. कमला पत्नी रामफूल जाति गुर्जर नि0 हीरापुर पंचायत तलवास।
2. केली पुत्री रामफूल पत्नी रामकेश जाति गुर्जर हाल निवासी ग्राम आली तहसील उनियारा।
3. काली पुत्री गोपी पत्नी मियाराम जाति गुर्जर नि0 आली तहसील उनियारा।
4. गीता पुत्री गोपी पत्नी रामदेव जाति गुर्जर हाल निवासी पचीपला तहसील इन्द्रगढ।
5. छोटू आ0 गोपी जाति गुर्जर नि0 हीरापुर पंचायत तलवास।
6. देवकिशन आ0 रामफूल जाति गुर्जर नि0 हीरापुर पंचायत तलवास।
7. धनराज आ0 गोपी जाति गुर्जर नि0 हीरापुर पंचायत तलवास।
8. ब्रह्मा पुत्री रामफूल पत्नी रामजस जाति गुर्जर हाल निवासी लाम्बाबरडा तहसील नैनवॉ।
9. महावीर पुत्र गोपी जाति गुर्जर नि0 हीरापुर पंचायत तलवास।
10. उर्जना पुत्री रामचरण जाति गुर्जर नाबालिग जर्ये संरक्षक चाचा महावीर आ0 गोपी प्रार्थी संख्या 8 ।
11. सरमा पुत्री रामफूल पत्नी महावीर जाति गुर्जर हाल निवासी झीडा तहसील इन्द्रगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा श्रीयुत तहसीलदार साहब नैनवॉ जिला बून्दी।
2. रामफूल आ0 हरदेव जाति गुर्जर नि0 हीरापुर पंचायत तलवास।
3. गिर्राज आ0 हरदेव जाति गुर्जर नि0 हीरापुर पंचायत तलवास।
4. बाबू आ0 खाना जाति गुर्जर नि0 हीरापुर पंचायत तलवास।
5. राजेश आ0 भंवरलाल जाति गुर्जर नि0 कलमिया तहसील नैनवॉ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111,128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–
प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री सत्यनारायण लवानिया।
अप्रार्थीगण संख्या 5 की ओर से अभिभाषक श्री दीपक कुमार गुर्जर।

निर्णय दिनांक 12.05.2025

–:निर्णयः–

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम हीरापुर पटवार मण्डल नीमखेडा तहसील नैनवॉ में खसरा नम्बर 326/246 रकबा 1.2701 हैक्टयर, खसरा नम्बर 325/246 रकबा 0.4045 हैक्टयर, खसरा नम्बर 317/246 रकबा 0.4045 हैक्टयर, खसरा नम्बर 324/246 रकबा 0.4045 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 318/246 रकबा 0.4045 हैक्टयर स्थित है। उक्त भूमियों के खातेदारान प्रार्थीगण है जिनका विवरण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 5 मे दिया गया है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित किया है कि उपरोक्त कृषि भूमियों पर अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 का किसी प्रकार का कोई हक, अधिकार व कब्जा काश्त नही है। अप्रार्थी संख्या 2 रामफूल के खाते की भूमि खसरा नम्बर 319/246, अप्रार्थीगण संख्या 3 गिर्राज के खाते की भूमि खसरा नम्बर 316/246, प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 324/246 व 318 /246 के अडवां ही उत्तरी ओर है तथा अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 बाबू व राजेश की भूमियां प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमियों से दूर होते हुए भी अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के साथ मिलकर प्रार्थीगण की भूमियों पर जबरन विवाद पैदा कर रहे है। अप्रार्थीगण मेरों को तोडकर आगे बढना चाहते है। अप्रार्थीगण के परिवार के सदस्य काफी ज्यादा होने से प्रार्थीगण के साथ मारपीट करने का आमादा रहते है जिससे भूमियों की सीमाओं के संबंध मे विवाद उत्पन्न हो गया है। विवाद को सुलझाने के लिए प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 5 के वर्णित भूमियों का दिनांक 3.6.2023 को पटवारी हल्का व सर्किल कानूनगो साहब से नियमानुसार सीमाज्ञान भी करवाया परन्तु अप्रार्थीगण उसको नही मान रहे है व लडाई झगडा करने पर आमादा है जिससे प्रार्थीगण द्वारा धारा 111, 128 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर

पुलिस जाब्ते की उपस्थिति मे पत्थरगढी करवाये जाने एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 [illegible] सीमाचिह्न को नष्ट नही करने और अपनी सीमा मे ही रहने हेतु पावंद फरमाये जाने का निवेद[illegible] किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री दीपक कुमार गुर्जर ने वकालातनामा पेश कर दिनांक 30.4.2025 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमे प्रार्थना पत्र मे वर्णित अधिकांश चरणों को अस्वीकार कर विशेष निवेदन मे यह कथन किया कि अप्रार्थी राजेश ने उसके खाते की भूमि खसरा नम्बर 323/246 रकबा 0–17 बिस्वा जिसका मूल खसरा नम्बर 246 था, की राजस्व नक्शे मे तरमीम अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 5 मे वर्णित कृषि भूमियों पर मौके पर कभी कब्जा नही रहा है और ना ही वर्तमान मे है। प्रार्थीगण वर्तमान मे जिस स्थान पर काबिज है उसके खसरा नम्बरान इन भूमियों से अलग है। प्रार्थीगण ने मौके की स्थिति के विपरित वास्तविक तथ्यों को छीपाकर यह मिथ्या प्रार्थना पत्र न्यायालय मे पेश किया है जो चलने योग्य नही होकर खारिज फरमाये जाने योग्य है।

तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिसमे उन्होने कमांक/भू0अ0/25/1978 दिनांक 6.5.2025 द्वारा रिपोर्ट पेश कर बताया कि ग्राम नीमखेडा स्थित भूमि खसरा नम्बर 326/246, 324/246, 317/246, 318/246, 325/246 का सीमाज्ञान दिनांक 03.06.2023 को कानूनगो साहब के साथ किया गया था। वादिया का भूमि पर कब्जा काश्त है परन्तु आंशिक भूमि पडत पडी हुई है। प्रार्थीया की भूमि का पत्थरगढी किया जाना उचित होगा।

हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सूनी। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 1 लगायत 5 मे अंकित खसरा नम्बरान 326/246, 324/246, 317/246, 318/246, 325/246 का पत्थरगढी पुलिस इमदाद के साथ करवाये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 5 अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र के विशेष निवेदन मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी राजेश ने उसके खाते की भूमि खसरा नम्बर 323/246 रकबा 0–17 बिस्वा जिसका मूल खसरा नम्बर 246 था, की राजस्व नक्शे मे तरमीम अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 5 मे वर्णित कृषि भूमियों पर मौके पर कभी कब्जा नही रहा है और ना ही वर्तमान मे है। प्रार्थीगण वर्तमान मे जिस स्थान पर काबिज है उसके खसरा नम्बरान इन भूमियों से अलग है। प्रार्थीगण ने मौके की स्थिति के विपरित वास्तविक तथ्यों को छीपाकर यह मिथ्या प्रार्थना पत्र न्यायालय मे पेश किया है जो चलने योग्य नही होकर खारिज फरमाये जाने योग्य है।

हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। साथ ही पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा पाया कि जो नक्शा ट्रेस भूमियों का प्रस्तुत हुआ है उसमे प्रार्थना पत्र मे वर्णित व जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित समस्त खसरा नम्बरान की पृथक–पृथक तरमीम हो रही है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से हम पूर्णतया सहमत है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम हीरापुर पटवार मण्डल नीमखेडा के खसरा नम्बर 326/246 रकबा 1.2701 हैक्टयर, खसरा नम्बर 325/246 रकबा 0.4045 हैक्टयर, खसरा नम्बर 317/246 रकबा 0.4045 हैक्टयर, खसरा नम्बर 324/246 रकबा 0.4045 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 318/246 रकबा 0.4045 हैक्टयर भूमि का स्थायी सीमा चिह्न कायम कर नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर पुलिस इमदाद के साथ (नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कराने पर) पत्थरगढी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 12.5.2025

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
12/5/21	पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रकारान उप० वहस सुनी गयी। वहस के विलेख, तहसीलदार रिपोर्ट एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो के अध्ययन बाद निर्णय सुनाया गया। जो पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खत्म होकर दाखिल दफ्तर हुई।
23/5/21	प्रार्थीगण अभिभाषा के आदेश दिनांक 12/5/2021 में संशोधन करने हेतु अन्तर्गत धारा 152 C.P.C प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेश हुई। आदेश दिनांक 12/5/2021 का अवलोकन किया जिसमे आदेश के अन्तिम पैरा में दिनांक 12/5/2021 के स्थान पर संहलन से 06/05/2021 अंकित हो गया। अतः उक्त आदेश दिनांक 12/5/2021 में संशोधन कर संहलन में गलत दर्ज हुई तारीख 06/05/2021 पर गोला कर सही तारीख 12/5/2021 अंकित की जावे। पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।